असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 नवम्बर, 2016

टर्न-1/आजाद

षोडश विधान-सभा बुधवार,तिथि 30 नवम्बर,2016 ई0
चतुर्थ सत्र 09 अग्रहायण,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, एक मिनट । शांति-शांति। प्रेम बाबू, एक मिनट, शकील जी, एक मिनट ।

माननीय सदस्यगण, अभी नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं । कल सदन में कुछ ऐसी स्थितियां बनीं, मेरी समझ से हममें से किसी ने उस स्थिति के बारे में सोचा नहीं होगा । किसी राजनीतिक दल या विधायक दल की वह सोची-समझी राजनीति नहीं हो सकती है । कल जिस तरह की स्थिति बन गई और कल जैसी भी स्थिति सदन में बनी है, वह हम सबों के लिए चिन्ता का विषय है । इस क्रम में हमने आज सभी दल के नेताओं को 10 बजे अपने कक्ष में आमंत्रित करके सदन की कार्यवाही कैसे अच्छे तरीके से चले, सदन की मर्यादा किस तरीके से हमलोग न सिर्फ कायम रख सकें बल्कि और उसको ऊँचा उठा सके, इस संबंध में विमर्श किया है । मुझे कहने में खुशी है कि सारे राजनीतिक दलों ने इसपर एकमत, एक राय जाहिर की है । सभी दल के नेताओं ने एक राय जाहिर की है कि कल जो भी अशोभनीय, असंसदीय आचरण, नारे, जो बातें या सदन के अन्दर जो चीजें हुई, कोई सदस्य टेबुल पर चढ़ गये या कोई अवांछनीय नारे लगाये गये, सभी दल के नेता एकमत थे कि वह सब चीजें नहीं होनी चाहिए । वे सब चीजें अफसोसनाक हैं । इसलिए यह हम सबका कर्तव्य बनता है । मैं समझता हूँ कि सबलोग अपने-अपने इलाके से, अपने-अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास लेकर के इस सदन में पहुँचते हैं, जनता के हित की बात करने के लिए । स्वाभाविक रूप से यह सदन भी जनता का प्रतिनिधि सदन है । इसमें जनता के हित की बात न करके हमलोग अगर छोटी-छोटी बातों में उलझेंगे और व्यापक जनहित के मुद्दे अगर दरकिनार हो जायेंगे तो यह स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती है । इसलिए मेरा अनुरोध यही होगा सदन के तमाम माननीय सदस्यों से, माननीय नेताओं से कि सदन किस ढंग से व्यवस्थित रूप से चले, उस संबंध में अगर कोई अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं लेकिन

इस निवेदन के साथ कि सिर्फ अपना विचार रखने तक ही इस मर्यादा को नहीं समझेंगे, अपना विचार रखने के बाद दूसरों के विचार सुनने, उसकी भी इज्जत, उसका भी आदर करने का धैर्य और सब्र रखना होगा । इसलिए इस परिस्थिति में जिन दलों के नेता अपने विचार रखना चाहते हैं कि सदन की मर्यादा किस ढंग से हमलोग अक्षुण्ण रखें जिससे कि जनता का विश्वास बरकरार रखें । अगर हमलोग आपस में उलझ कर सदन की मर्यादा ही नहीं बचायेंगे तब तो फिर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा । जनता सब कुछ देख रही है कि हमलोग क्या कर रहे हैं और आप सभी इतने जिम्मेवार हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, कि आप सब मिलकर सदन का माहौल, सदन की परिस्थिति ऐसी बनायेंगे कि हम बिहार की जनता के हित के मुद्दों पर विमर्श कर सकेंगे, उनके सम्यक समाधान की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे । इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में सभी दल या किसी दल के नेता अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध होगा कि अपनी बात कह करके दूसरों की बात सुनेंगे और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को सदन जब चल रहा था तो हमलोग पूरा सहयोग किया और क्वेश्चन आवर, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और जो सरकारी काम थे, हमलोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से और हम इसके पक्ष में है कि सदन चले, सदन मर्यादित हो, लेकिन कल की घटना महोदय जो घटी है और उस घटना में साफ दिखा है कि पहली बार सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, वेल में आने का उन्होंने काम किया और जिस तरह वहां पर आ करके टेबुल पर चढ़ करके और जिस तरह से हुड़दंगी हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बे समय से सदस्य रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि ऐसी घटना पहली बार घटी है और जिस तरह से आर0जे0डी0 और कांग्रेस के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भद्दी-भद्दी टिप्पणियां की, गाली दे रहे थे लोग, क्या-क्या कह रहे थे, वह कहां नहीं जा सकता और हमलोग खड़े होकर अपनी बातों को रखना चाहते थे और जिस तरह से लोग दौड़ते हुए और मुझे आश्चर्य हुआ कि जिनकी सरकार है, जो लोग सत्ता में हैं, उनके माननीय सदस्य जिस तरह से यहां पर आये और जिस तरह की हरकतें जाकर हुई, अमर्यादित आचरण हुआ, वह अशोभनीय हुआ और असंसदीय भाषा का जिस तरह से माननीय सदस्यों ने इस्तेमाल किया, वह काफी दुःखद रहा है और हम चाहते हैं कि सदन चले, सदन की गरिमा बनी रहे और उसका उदाहरण दिया है कि 28 तारीख को किसी तरह की ऐसी बात नहीं हुई लेकिन जिस तरह से टेबुल पर चढ़ करके, रिपोर्टर टेबुल पर चढ़ करके , उसपर माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू, माननीय सदस्य फातमी जी, माननीय सदस्य और कई लोगों ने झण्डा लेकर के, पार्टी का झण्डा लेकर जिस तरह का आचरण किया महोदय, इससे विधान सभा और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है । जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और साथ ही साथ महोदय, जब विधान सभा आपने थोड़े समय के

लिए स्थगित किया तो जिस तरह हमारे माननीय विधायिका गायत्री देवी जी के साथ आर0जे0डी0 के श्री भोला यादव जी ने धमकी दिया, अभद्र व्यवहार करने का काम किया। इसलिए जो हालात पैदा हुए हैं, जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और तब महोदय, आपसे आग्रह करने के लिए आपके दरवाजे पर गये, हमलोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे और आपने हमलोगों को बुलाया और हमलोग गये भी वहां पर और अपनी बातों को रखने का काम किया । लेकिन वहां पर भी आर0जे0डी0, कांग्रेस के लोग जिस तरह से महोदय आ करके, जिस तरह से हंगामा करने का काम किया और जो परिस्थिति उत्पन्न किया, उससे झगड़ा निश्चित था लेकिन एन0डी0ए0 के लोगों ने संयम बरतने का काम किया और शांति बनी रही, नहीं तो झगड़ा निश्चित था, जिसकी आशंका आपने भी की थी महोदय । साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि जो घटनायें कल घटी है, वह काफी दु:खद है और इस बिहार विधान सभा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना घटी है और झगड़ा होते-होते बचा है । इसलिए हमलोगों का स्पष्ट कहना है, हमलोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप सदन चलाये लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने रामदेव यादव जी हो, रामदेव राय जी हों, भोला यादव जी हों, शकील अहमद जी हों, फातमी जी हों, अमीत जी हों, समता देवी जी हों और ऐसे तमाम लोगों ने जिस तरह का आचरण किया महोदय, हम चाहेंगे कि आसन ऐसे माननीय सदस्यों को निलंबित करे ताकि भविष्य में ये लोग इस तरह का आचरण लोग नहीं करे और इस तरह की घटना की पुनरावृति इस विधान सभा में नहीं हो । आप भी चाहते हैं और साथ ही साथ एक निन्दा प्रस्ताव पारित हो कि सत्ताधारी लोग जो इस तरह से वेल में आकर के आचरण किया और साथ ही साथ माननीय मंत्री, जिनके बारे में हमारे विधायकों ने कहा है कि ललन बाबू ने प्रभोक किया, उकसाया लोगों को कि आप हंगामा करो जाकर के तो महोदय, यह लोकतंत्र में महोदय क्या हो रहा है ? जब मंत्री ही सत्ता में बैठे लोग माननीय मंत्री हैं और सत्ताधारी दल के लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो इस तरह से विधान सभा कैसे चलेगा, कौन इसके लिए जिम्मेवार है ? आपसे आग्रह है महोदय, ऐसी बातें जो हुई है, आप कार्रवाई करें और सदन चलाये, हम आपके साथ हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदानन्द बाबू । आपलोग बैठिए, लीडर लोग बोल रहे हैं न । आप ही के दल के नेता लोग बोल रहे हैं ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महादेय, कल जिस तरह की घटना घटी, उसके लिए हमें भी खेद है और हमारे विधायक दल के सभी साथियों को खेद है लेकिन यह परिस्थिति कैसे और क्यों हुई इसपर विचार करने की आवश्यकता है । क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे नेतृत्व के खिलाफ अनावश्यक ढंग से टिप्पणियां की गई, किस तरह से अशोभनीय बातें की गई और सदन में कांग्रेस विधान मंडल के लोग जितने सदस्यगण हैं, काफी अनुशासित ढंग

से, लम्बे अरसे से रहते रहे हैं और अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं ।

..... क्रमशः .....

टर्न-2/अंजनी/दि030.11.16

श्री सदानंद सिंह...क्रमशः..... हमलोगों ने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की, माननीय विपक्ष के नेता बोल तो देते हैं हमारे रामदेव राय या भोला यादव जी या हमारे माननीय मंत्री जी के बारे में लेकिन अपने आचरण एवं अपने बारे में नहीं कहते, बगल में खड़े होकर इशारा करके सबों को उकसाते हैं तो क्या वह संसदीय है ? यह सदन नहीं देखता है क्या ? यह जनता नहीं देखती है क्या ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जो बीत गयी, वह बीत गयी । उन बातों को समाप्त कीजिए और अनुशासित ढंग से विधान सभा को चलाइए और जिसपर भी कार्रवाई करनी हो, कार्रवाई कीजिए । हमलोग इसके पक्ष में हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । और कोई ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ और्डर पर हूँ ।

अध्यक्ष : अभी तो और्डर स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के बारे में आपका निर्देश प्राप्त हुआ है सदन को, हम सब लोग उसका पालन करें, यही सदन से मैं अपेक्षा करता हूँ । चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों या सत्ता पक्ष के हों । लेकिन कल की जो घटना हुई है, वह काफी दुखद है और मैं इस सदन में लम्बे समय से हूँ, पहली बार हमने देखा कि आसन पर माननीय स्पीकर आये नहीं, सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई और माननीय सदस्य वेल में हैं । महोदय, जबसे मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ तो लगातार इस बात को आसन से भी आग्रह करता रहा हूं, विपक्ष के माननीय सदस्य से भी आग्रह करता रहा हूं कि विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, वे सत्ता पक्ष की तरफ नहीं आयें, यह ज्यादा बेहतर होगा । कल भी मैंने आसन से अनुरोध किया था । लेकिन लगातार आसन से अनुरोध करने के बावजूद, लगातार विपक्ष के माननीय नेता और माननीय सदस्यों से अनुरोध करने के बाद भी विपक्ष के माननीय सदस्य रूलिंग पार्टी के माननीय मंत्री एवं माननीय सदस्यों की तरफ आ जाते हैं । आपने ठीक ही कहा कि पहले तो शुरूआती दौर में थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में अगर थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो वह दुर्घटना में बदल जाती है । तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो महोदय, यह आसन भी चाहता है और हम सब लोग भी चाहते हैं, सरकारी पक्ष भी चाहता है । हमारे जो माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री हैं, वे बिल्कुल तैयार होकर आते हैं कि सदन में जो प्रश्न उठाये जाते हैं चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा हो या विपक्ष के द्वारा हो, उन प्रश्नों का हम जवाब दें, लेकिन हाऊस और्डर

में नहीं होता है । महोदय, आप आसन ग्रहण ही करते हैं और आप कार्यवाही भी शुरू नहीं करते हैं और माननीय विपक्ष के नेता खड़े हो जाते हैं तो हमलोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इस राज्य में कौन-सा ऐसा सवाल खड़ा हो गया, जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से बाहर है और आज तक मैंने नहीं देखा है कि विपक्ष के नेता को कि कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से एक भी बार इस सदन में उन्होंने शुरूआत किया हो महोदय । मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई सदन की कार्य संचालन नियमावली से होना चाहिए । जहां तक सत्ता पक्ष के सदस्यों का वेल में आने का सवाल है तो कोई भी माननीय सदस्य को हक है और कार्य संचालन नियमावली भी कहता है कि अगर सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य या विपक्ष के कोई माननीय सदस्य अगर उनके प्रश्नों का हल नहीं हो रहा है और अपने हक के लिए वेल में आना चाहते हैं तो कहीं हमारा कार्य संचालन नियमावली रूकावट नहीं देता है महोदय । जहां तक टेबुल पर चढ़ने का सवाल है तो एक बार नहीं, अनेक बार इस तरह की घटनायें विपक्ष के द्वारा हुई है और सत्ता पक्ष के लोग बहुत ही संयमित ढंग से और हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनमें कोई बहुत उत्तेजना पहले से नहीं रहती है लेकिन अगर उत्तेजित करने का काम होगा, अगर उनके नेताओं को भददी-भद्दी गालियां दी जायेगी तो इस प्रकार से सदन में कोई माननीय सदस्य चुप नहीं बैठेंगे और हमलोग भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर किसी नेता को अपमानित किया जाता है । तो सभी लोगों को संयम के साथ सदन में अपना व्यवहार और आचरण करना चाहिए । मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ आसन से और जो आपने नियमन दिया है, निर्देश दिया है तो उसके साथ हम सब लोग हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के और पार्टी दलों के विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई और जैसा कि आपने बताया कि कल की जो घटना थी, चाहे पक्ष के द्वारा हुई हो या विपक्ष के द्वारा हुई हो, वह घटना निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाय उतनी कम है । महोदय, पक्ष हों या विपक्ष हों, दोनों का दायित्व है मिलकर सदन चलाने का और दोनों का अपना-अपना दायरा भी निर्धारित है । मगर जब पक्ष या विपक्ष अपना दायरा क्रॉस करता है तब मुझको लगता है कि कहीं-न-कहीं टकराव होती है । महोदय, बहुत सारे नये सदस्य हैं, जो संसदीय मर्यादा है, बिहार विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली है और उससे वे अवगत नहीं होकर वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो स्वभाविक है कि यह सदन जो बिहार की 9 करोड़ से ऊपर की जनता का प्रतिनिधि सभा है और बिहार की जनता हमसे काफी अपेक्षा रखती है । बहुत सारे लोग इसके लिए खुश होते हैं कि हमारा यह जो आचरण है, उसको मीडिया देखता है और उसको छापता है । मगर दूसरी तरफ जो आम आदमी हैं, जो माननीय सदस्य का आचरण होता है, उसको वह मजाक समझता है, नाटक

समझता है और कहता है कि रोज-रोज इन लोगों का यही काम है करने का । मगर विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को विरोध करना है सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का या जो हमारी गलतियां हैं, उसको उजागर करने का पूरा अधिकार है, मगर वह सीमा के तहत । प्रेम बाबू, नेता विरोधी दल हैं और प्रेम बाबू ने ठीक ही कहा है कि अपनी-अपनी सीमा में रहना चाहिए । हमलोग भी दस साल से विपक्ष में रहे, वर्ष 2005 से 2010 या 2010 से लेकर जितना दिन भी रहे, विपक्ष में रहे । हमलोग भी वेल में आये हैं, मगर आज तक हमने अपनी जिन्दगी में कभी-भी वेल में नहीं आये । मगर माननीय सदस्य जो वेल में आते हैं, आपका विपक्ष का वो कक्ष है और सत्ता पक्ष का इधर है, मगर जब आपके सदस्य जब निकलते हैं तो सीधे दौड़कर पहले सत्ता पक्ष की ओर कवर करते हैं । अगर आप उधर ही खड़े होकर वेल में आकर आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए तो टकराव की स्थिति तो पैदा नहीं होगी । वेल में आप धरना दीजिए, जो भी करना हो, प्रोटेस्ट का एक तरीका है, वह आप कीजिए तो कोई आपत्ति नहीं है । मगर आप इधर आकर, ट्रेजरी बेंच के पास आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं । एक तरह से मेरे प्रिय अजीज भी हैं, कोई टीका-टिप्पणी के लिहाज से नहीं, नितिन नवीन पहले ज्यादा दौड़कर आते हैं और लगता है कि इतने आक्रोश में हैं कि इसका कोई हद नहीं है । मैं यह कहता हूँ प्रेम बाबू, आपको याद होगा कि वर्ष 2005 और 2010 के इसी सदन में जिसमें आप मंत्री थे, नन्द किशोर बाबू मंत्री थे,

(क्रमशः)

टर्न-3/शंभु/30.11.16

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री : क्रमशः.....गिरिराज सिंह मंत्री थे। उस वक्त भी हमलोग वहां रहकर खड़ा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे कुछ सदस्य आ गये थे वेल में, मैं और जगदानन्द सिंह वहीं थे, मगर आपके अभी केन्द्रीय मंत्री हो गये हैं, गिरिराज सिंह जी ने जो व्यवहार किया था, वह जाकर एक तरह से ठेलकर तोड़ दिया था और उसमें हम दब गये थे । मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति हो, जो बिहार विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली है, ईमानदारी से सच्चाई से, जहां तक आपने सवाल उठाया है गायत्री देवी जी का तो गायत्री जी का पक्ष आपने सुना, भोला यादव जी पर आपका आरोप है, भोला यादव जी को बुलाकर पूछ लीजिए, प्रेमा चौधरी ने भी आरोप लगाया है, उसके बारे में भी आप पूछ लीजिए, मगर हम सबों का दायित्व है कि हम अच्छे जनप्रतिनिधि तभी बन सकते हैं, जब हम संसदीय मर्यादा का पालन करेंगे। उत्तेजना क्यों होती है ? जो नारा विभिन्न राजनीतिक दल सड़क पर लगाता है, सड़क पर लगाने का अधिकार है, यह विधान सभा सड़क नहीं है और इस विधान सभा में हम कहें कि "फलां तीन दलाल" यह सदन का नारा नहीं हो सकता है । आप नेता विरोधी दल है, आप विपक्ष में हैं,

आपको पूरा मौका मिलता है कि आप दमदार और तर्क के आधार पर पक्ष का, सत्तापक्ष का जितना विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करें । मगर किसी भी तरह के अमर्यादित, असंसदीय आचरण से आप पक्ष को, आप उस पर आरोप लगाइयेगा तो स्वाभाविक है कि जो लोग हैं वे प्रोवोकेट होते हैं और प्रोवोकेट होकर, आपने ठीक कहा, 28 तारीख को बहुत अच्छा चला सदन और हमलोगों की अपेक्षा थी कि यह छोटा-सा सत्र है, उसमें ठीक है, क्रेडिट जाता है । मगर 28 तारीख को जो परंपरा कायम की गयी, वह अगर कायम रहती तो इस सदन की और हम सबों की गरिमा बढ़ती, मगर जिन कारणों से भी कल की जो घटना घटी है, वह दुखद है, निंदनीय है। उसकी निंदा होनी चाहिए और भविष्य में इस हाऊस में इस तरह की घटना नहीं घटे । मैं तो बहुत विनम्रता से आपसे अनुरोध करूँगा कि आपको पूरा अधिकार है सरकार का विरोध करने का, मगर अपने दायरे में । आप जो माननीय सदस्य इधर आते हैं, उनको कभी रोकते हैं ? यहां पर आ गये और हाथ रखकर खड़ा हो जाते हैं । मैं यही अनुरोध करूँगा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, बहुत सारे सीनियर मेम्बर्स हैं, नन्द किशोर यादव जी हैं, प्रेम बाबू हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब तो सरावगी जी भी सीनियर मेम्बर हैं और इधर भी सीनियर मेम्बर हैं और सबको सदन की मर्यादा का ध्यान रखना हमारा प्राइमरी दायित्व है । मैं यही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति न हो । सदन चले, शांति से चले और जो विरोध का तरीका है, विरोध के तरीके से विरोध करें ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मेरी बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष : हो गया । आपके दल के नेता बोल चुके हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता, विरोधी दल प्रेम बाबू ने एक सवाल उठाया कि 28 तारीख को विपक्ष के लोगों ने सहयोग किया, उनके दल के लोगों ने और जो कल हुआ, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया । महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी जगह पर जहां प्रेम बाबू बैठते हैं आदरणीय कर्पूरी जी जैसे लोग बैठा करते थे और कर्पूरी जी ने इसी सदन में कोट किया था कि अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के बाप, दादे, परदादे एक लाल टोपी को देखकर गांव के गांव भाग जाया करते थे । ये सदन ही है कि गरीब का बेटा, गांव का आदमी, एक अदना आदमी डी0जी0पी0 के खिलाफ भी बोलता है, इसलिए हम गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का सबसे बड़ा यह मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और गिरजाघर है । इसकी अवमानना, इसका अपमान गरीब-गुरबा, गांव-गंवई में जो रहनेवाले लोग हैं, उनके प्रति अन्याय की ओर इशारा करता है । महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ डिमोनेटाइजेशन देश में हुआ। परसों घटना कहां से शुरूआत हुई ? क्या नारे लग रहे थे - तीन राष्ट्रीय दल के नेताओं के विषय में क्या नारे लग रहे थे ? वह इस सदन के सदस्य तो हैं नहीं । डिमोनेटाइजेशन का मामला महोदय, रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत

सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है । 29 के करीब, 30 के करीब राज्य के फेडरल स्ट्रक्चर का ये देश है, ये इस सदन का विषय नहीं है, रिजर्व बैंक पर हम बहस नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार के किसी निर्णय पर हम डिबेट नहीं कर सकते, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा और आप पार्टी जिसका कोई मेम्बर यहां नहीं है, उसके नेताओं के विषय में कालाधन के "तीन दलाल" ये नारे लगाये जा रहे थे । ये क्या शर्मनाक बात नहीं है ? इसके बाद ही कल.....व्यवधान।

अध्यक्ष : बैठिए । ठीक है, बोलने दीजिए न । चलिए शांत रहिये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब यह आचरण सामने आया तो स्वाभाविक तौर पर कल दो दलों के लोगों ने इसपर उत्तेजित होकर के स्वाभाविक है महोदय, उत्तेजना में अगर किसी दल के सीनियर मेम्बर हो या कोई मेम्बर है, अगर कोई बात करता है तो मनुष्य का एक स्वभाव है, यह स्वाभाविकता है । इसपर खेद व्यक्त करने का काम सदानन्द बाबू ने किया । सिद्दिकी जी ने भी कहा कि यह आचरण ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ महोदय कि हम सब लोगों को सिद्दिकी साहब ने कहा, उसमें एक एमेंडमेंट करता हूँ, जो पहली बार जो मेम्बर जीतकर आये हैं, नये लोग हैं, वे कम ही उत्तेजित होते हैं । सीनियर लोग ही ज्यादे उछल-कूद करते हैं यह और दुर्भाग्यपूर्ण है इस सदन के लिए । इसीलिए भविष्य में.....

(व्यवधान)

भाई, आप भी तो सीनियर मेम्बर नहीं है, पहली बार नये आये हैं और दरभंगा के एम0एल0ए0 हैं । महोदय, इसीलिए जो सीनियर हैं, फ्रंट बेंच पर बैठने वाले लोग हैं उनकी तो और भी ज्यादा जिम्मेवारी है कि अपने नये मेम्बरों को प्रशिक्षित करें और उनकी देखभाल करें । जहां एक आरोप लगाया गया है - ललन भाई हमलोगों के बगल में हमलोगों के कलिग्स हैं, कभी इन्होंने कोई प्रोवोकेशन का काम नहीं किया । इसकी गारंटी, इनके बगल में मैं बैठकर देख रहा था, यह सब बातें अनावश्यक है । इसीलिए महोदय, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को, सीनियर लोग जो हैं उनको, इस सदन में गरीब लोगों के प्रति, 11 करोड़ बिहार की जनता के प्रति हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह का आचरण नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विराधी दल : हमलोगों ने आसन से मांग किया, आग्रह किया है कि इन माननीय सदस्यों को निलंबित किया जाय।

अध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुन लीजिए न ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, हमलोगों ने आसन से आग्रह किया है कि आप निलंबन का आदेश दे करके कार्रवाई करें, निंदा प्रस्ताव पास करें । हमारा स्पष्ट शब्दों में फिर से

आग्रह है कि जो घटना कल घटी है, अमर्यादित आचरण जो हुआ है और असंसदीय भाषा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो यहां सदस्य नहीं हैं उनके खिलाफ भद्दी-भद्दी टिप्पणियां की गयी है ।

क्रमशः

टर्न-4/अशोक/30.11.2016

श्री प्रेम कुमार, नेता, प्रतिपक्ष : क्रमशः हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपसे आग्रह है कि आसन ऐसे सदस्यों को निलम्बित करे, भोला यादव जी को, रामदेव राय जी को और तमाम माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अभद्र आचरण किये हैं, आप नियमन दीजिये, आप आदेश दीजिए और हम आपके साथ, पूरा सदन आगे चले , कार्रवाई के लिए महोदय आदेश दे और साथ ही निन्दन प्रस्ताव पारित करें ।

अध्यक्ष : नियमन देंगे, आप बोलने की इजाजत दीजियेगा तब तो ।

श्री नंद किशोर यादवः एक-एक लोग को पार्टी से बुलाते तो मैं बोलने के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन आपने एक पार्टी से दो लोगों को बुलाया है, मेरा आग्रह होगा कि अगर मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाता ।

अध्यक्ष : दो मिनट में ।

श्री नंद किशार यादव : महोदय, मैं कम समय में बात कहूंगा, चर्चा पूरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घटना क्यों घटी ? महोदय, यह घटना घटी है जिसकी चर्चा सतारूढ़ दल के लोगों ने भी किया हैं, विधान परिषद् में कुछ नारे लगे थे, विधान सभा 28 तारीख को ठीक से चली और महोदय जिस दिन यह घटना घटी है, 29 तारीख को जो घटना घटी, आप गौर कीजिए महोदय, यह पहले से कुछ पार्टियों के मा0 सदस्यगण तय करके आये थे कि सदन के अन्दर हंगामा करना है और महोदय इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग झंडा लेकर आने का काम किया था महोदय और महोदय घ्यान दीजिए, आप खुद चेयर पर बैठे थे, पहले भाजपा के लोग वेल में नहीं गये थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वेल में जाने वाले थे उनके हाथ में स्टीकर था राज्य के कानून व्यवस्था के बारे में महोदय लेकिन भाजपा के आने के पहले, विपक्ष के आने के पहले सत्तारूढ़ दल के लोग, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के पहले वेल में आये तो उसके बाद आर.जे.डी. के लोग वेल में आये और महोदय झंडा लेकर आने का मतलब है महोदय कि पहले से वे तय करके आये थे, प्लान्ड-वे में आये थे कि सदन को नहीं चलने देना है, महोदय हमने बयान पढ़ा है अखबार में, एक सम्मानीय नेता का बयान पढ़ा है कि हम सदन नहीं चलने देंगे, तो महोदय जान-बूझ कर के सदन को नहीं चलने देने

की साजिश की गई है और उसके तहत हंगामा खड़ा किया गया, पहले वेल में आने का काम किया गया, विपक्ष को उत्तेजित करने का काम किया गया, पाटी का झंडा लेकर आने का काम किया गया और दोष लगा रहे हैं विपक्ष पर ? आप विपक्ष पर दोष लगाना चाहते हैं ? आप अपने आचरण के बारे में तो विचार कीजिये न । अगर लोग नहीं आते कांग्रेस के लोग और आर.जे.डी.के लोग वेल के अन्दर तो महोदय यह घटना नहीं घटती । जिस प्रकार की घटना घटी है यह ठीक नहीं, यह घटना नहीं होती इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूॅ कि यह प्रवृति नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, कोई भी करे उसको रोका जाना चाहिए, और इसलिए यह आवश्यक है कि आपके माध्यम से समुचित कार्रवाई नहीं होगी तो यह प्रवृति बढ़ती जायेगी, प्रवृति रूकेगी नहीं इसीलिए फिर से आपसे आग्रह है कि इस पर समुचित कार्रवाई करिये ताकि सदन व्यवस्थित ढंग से चल सके ।

अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्यों का और विशेष रूप से जिन लोगों ने अपनी राय रखी है, कल की अप्रिय घटना के बारे में,

(व्यवधान)

आप भोला बाबू बैठ जाइये, भोला बाबू बैठ जाइये न । भोला बाबू, आप के बारे में आपके दल के नेता ने अपनी बात कह दी है, आवश्यकता पड़ेगी तब आपकी बात सुनी जायेगी । सबसे पहले तो मैं आसन की तरफ से जिन विभिन्न विधायक दलों के नेताओं ने या जिन नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूॅ, उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूॅ । यही बात हमने शुरू में ही कही थी कि आसन को भरोसा है कि इस दल के कोई भी माननीय सदस्य जब शांतचित्त होकर सोचेंगे तब सब की राय एक ही जगह पहुंचेगी । आज पूरे बिहार की जनता यह देख रही होगी कि जितने लोगों ने, आप लोगों ने, राय प्रकट की है, सबकी राय तो एक ही है, किसी की राय में तो कोई भिन्नता है नहीं कि इस सदन की मर्यादा का पालन होना चाहिये । कार्रवाई अवश्य होगी, आज तक जितने लोग टेबुल पर चढ़ते रहे हैं उनके खिलाफ जो-जो कार्रवाई हुई है, कल भी जो चढ़े हैं उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी । आसन तो फर्क नहीं कर सकता है, आसन एक ही तरह के दो मामले में फर्क नहीं कर सकता है । सारा सदन गवाह रहा है कि पीछे के समय में भी जो टेबेल पर चढ़े हैं उनके साथ जो कार्रवाई हुई है, उस मामले का जिस ढंग से निष्पादन हुआ है, उसी ढंग से अगर यह अप्रिय बात हुई है तो उसका भी निष्पादन होगा और बिल्कुल न्याय का हमेशा भरोसा रखिये । यह आसन आप ही लोग का दिया हुआ आसन है, आप सब लोग बिहार की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और आप सब ने मिलकर मुझे यह आसन प्रदान किया है । मैं आपको पूरी तरह से इत्मीनान करता हूॅ कि आप को जिस न्याय की अपेक्षा है वह होगा। यह आसन कभी किसी के पक्ष में नहीं झुक सकता है, मैं इस आसन की मर्यादा कभी

नहीं जाने दूंगा । इसलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले हमलोग जिन बातों पर एक मत हैं उसके बारे में आसन से राय समझ लीजिए । सब लोगों ने कहा है कि बराबर उत्तेजना में जब लोग वेल में आ जाते हैं एक तो यह यथासम्भव कोशिश की जाय कि वेल में नहीं जाना पड़े तो बेहतर है लेकिन प्रजातंत्र में अभी तक की मान्यता के मुताबिक या परम्परा के मुताबिक सदस्य वेल में जाते हैं, अपना प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए । विरोध दर्ज कराने के लिए तो वे जाते हैं लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है । ठीक ही है इस संबंध में दो राय नहीं हैं, कम से कम आने वाले समय में इसका पालन पूरी कड़ाई से और पूरी सख्ती से हो कि अगर आपके सदस्य इधर वेल में आते हैं तो आधा अपनी तरफ से इधर नहीं आयें और अगर इधर से जाते हैं तो इधर के सदस्य उधर नहीं जायं । जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 28 को सदन चला, सही बात है चला । इसके लिए सब लोगों ने इसकी सराहना की है ऐसी बात नहीं है कि अगर 28 को चला तो इसकी किसी ने निन्दा की है, आप सब इसके लिए प्रशंसा पाये हैं । विधान सभा का सत्र चला, जनता से जुड़े मुद्दों पर विधान सभा में विमर्श हुआ, यह सब ने कहा । अभी नंदकिशोर जी ने भी कहा कि कुछ दल पूर्व नियोजित साजिश के तहत आते हैं कि विधान सभा नहीं चलने देंगे । तो भाई कोई दल अगर साजिश के तहत सोच कर आता है कि विधान सभा नहीं चलने देंगे तो यहां जितने समझदार दल या सदस्य हैं उनका क्या कर्त्तव्य बनता है कि इस तरह के साजिशों को हम विफल करें और सदन की कार्यवाही चलायें हर हालत में ।

कोई सदस्य या किसी दल को अपनी बात कहने का अधिकार हो सकता है लेकिन यह पूरे सदन को हाईजैक कर लेने का कि हम नहीं चलने देंगे, इस तरह की सोच तो बिल्कुल असंसदीय सोच है । सदन है आपको अपनी बात कहने का । अगर हमको मन नहीं है, किसी एक दल को मन नहीं हो तो सदन नहीं चले, कोई अगर इस तरह की साजिश करते हैं या कोई यह बात सोचता है तो आसन को यह बिल्कुल अवांछनीय और असंसदीय बात लगती है। आसन का कर्त्तव्य होता है कि आज की कार्य-सूची में जो सूचीबद्ध बातें हैं वह किस तरीके से चले क्योंकि उसमें दर्ज जो बातें हैं आप ही लोग की दी हुई हैं, अलग-अलग प्रस्ताव हैं, प्रश्न हैं, अल्प-सूचित प्रश्न हैं, तारांकित प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण हैं, फिर सरकार के काम हैं, विधेयक हैं, बहुत सारे विधेयकों में आपकी भी सहमति होती है । इस तरह के काम हैं जनहित के, बिहार की जनता के लिए दोनों सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष मिलकर काम करते हैं । आसन तो हर समय चाहता है और आगे भी चाहेगा कि सदन की कार्यवाही किस ढंग से चले । जो पूर्व से सूचीबद्ध कार्यक्रम हैं, वह किस ढंग से चले उसमें आप सबों का सहयोग चाहिए । कल ही, सही बात है कि दो-तीन बातें जो हुई वह बिल्कुल अप्रत्याशित हुई । आप सब लोगों

ने देखा होगा कि कल तो मेरे सदन में आने से पहले ही विरोध दर्ज हो रहा था । मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर वह विरोध किस को सुनाया जा रहा है, किसको दिखाया जा रहा है, विरोध तो जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब होता है, जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हुई तो उस तरह के विरोध या उस प्रतिरोध का क्या मतलब है यह आसन की समझ में बात नहीं आ रही थी । इसलिए हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे, सभी राजनीतिक दल एवं इसके नेताओं से आग्रह करेंगे कि यह सबका कर्त्तव्य बनता है कि सदन की कार्यवाही चले, इसमें आप अपना सहयोग करिये । जिस भी दल के नेता जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं हमने यथासम्भव पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनको मौका दिया है। क्रमशः

टर्न-5/विजय/ 30.11.16

अध्यक्षः (क्रमशः) इसलिए दो तीन चीजें, आपने ठीक कहा, इस बात से हम पूरे तौर से सहमत हैं कि तख्तियां, झंडे, बैनर, प्ले कार्ड ये सड़क की चीजें हो सकती हैं, ये सदन के अंदर की चीज नहीं हो सकती है । सब लोग राय प्रकट कर रहे हैं कि दूसरे किसी दल या किसी दूसरे सदस्य का जो आचरण आपको खराब लगा है आप उसकी निंदा चाहते हैं तो सबसे पहले स्व-अनुशासन के तहत सब दल को अपनाना होगा । आखिर सब दल के नेताओं ने वही राय प्रकट की है तो फिर हम लागू किस पर करें । सब दल के नेताओं ने तो एक ही राय रखी, हमको तो समझ में नहीं आता है कि सब दल के नेता जब एकमत के हैं कि सदन के अंदर कोई भी प्ले कार्ड, बैनर, तख्तियां, झंडे ये नहीं आने चाहिए, सदन के अंदर असंसदीय आचरण जैसे टेबुल पीटना आदि नहीं होना चाहिये । आप खड़े होकर नारा लगाते हैं अपनी सीट से लगाइये । वेल में भी आ जाते हैं, चले आइये, वेल में अपने साइड में रहिये । लेकिन कभी कभी टेबल पीटने आदि से बात धीरे धीरे बढ़ जाती है, दुर्घटना के स्तर तक पहुंच जाती है । टेबुल पर जोर आजमाइश होने लगती है । उसी बीच में किसी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है । इसलिए सबलोग अपनी अपनी बात कहिये, तख्तियां, बैनर, प्ले कार्ड झंडे ये सब यहां नहीं लाइये । आपको बाहर इसकी इजाजत है और बाहर कर सकते हैं उसी तरीके से । कभी कभी हम देखते हैं दोनों तरफ के लोग अपनी बात कहने के लिए जो प्रवेश द्वार है उसी को घेर कर बैठ जाते हैं । आने जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है । कभी कभी वहां पर भी कोई तनाव की स्थिति बन जाती है ।

इसलिए मेरा यही आग्रह होगा, पहले ही हमने कहा कि सबने राय जो प्रकट की है सब एक ही तरह की राय है । इसलिए इसमें आसन का नियमन क्या, हम तो

सिर्फ आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं । हम आप ही की बातों को लागू कराना चाहते हैं और उसी में आप सबों का सहयोग चाहते हैं । आप सबों ने जो बातें कही हैं उसको ईमानदारी से सभी दल के लोग सदन में पालन करें यही आसन भी चाहता है । इसमें कहीं दो राय नहीं है । मुझे खुशी है कि संसदीय प्रणाली में प्रेम बाबू, नंद किशोर बाबू, चाहे सदानंद बाबू, विजेन्द्र बाबू या सब लोग पुराने सदस्य हैं । यहां की यही परंपरा रही है कि कोई इस तरह का असंसदीय आचरण, असंसदीय नारे या असंसदीय बात होती है तो उसके लिए अगर खेद प्रकट किया जाता है तो संसदीय आचरण का वह परम बिंदु होता है । दल के नेताओं ने खेद प्रकट कर दिया । कल जो कुछ भी हुआ सबलोग मानते हैं कि वह अशोभनीय था, अवांछनीय था, असंसदीय था और आप सब दल के नेताओं ने उठकर खेद भी प्रकट कर दिया है तो अब इसके बाद क्या बचता है । अब तो सिर्फ एक ही चीज बचती है कि आपने जो विचार रखे हैं उन पर अपने से अमल शुरू करें हमलोग । जो भी दल के नेता या किसी सदस्य ने असंसदीय भाषा में कोई नारा लगाया हो, कोई आचरण किया है सब दल के नेताओं ने उठकर कल की जो स्थिति बनी है, कल जो भी सदन में घटनाएं घटी हैं उस पर जब खेद प्रकट कर दिया है, इसका मतलब है सब लोग उसको डिसएप्रूव करते हैं, नहीं मानते हैं अच्छा । नहीं मानते हैं सदन के हित में, सदन की मर्यादा के खिलाफ मानते हैं । इसलिए मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध होगा कि जिस ढंग से खासकर के नेता, प्रतिपक्ष और सभी दल के लोगों से कल सत्ताधारी दल के भी कुछ लोग विभिन्न घटनाओं के क्रम में या विभिन्न बातों को लेकर उत्तेजित थे उसे समाप्त करें । यह सदन सबका है । जबतक दोनों पक्ष मिलकर नहीं चलाइयेगा, चलेगा नहीं । आसन तो दोनों का सहयोग चाहता है और आसन को खुशी है, आसन आभारी है कि जिन नेताओं ने भी अपने विचार रखे हैं सबके विचार सदन को मर्यादित ढंग से चलाने के लिए हैं । इसलिए जो भी कल अप्रिय, अशोभनीय, असंसदीय घटना घटी वह खेदजनक है, वह निंदनीय है यह सबलोगों ने राय की है । उन सबकी हम निंदा करते हैं चाहे वह नारे हों, कोई आचरण हो, टेबल पर चढ़ने की बात हो, गलत नारा हो उन सब की निंदा करते हुए आसन आप सबका सहयोग चाहता है । अब सदन की कार्रवाई मात्र 15 मिनट बच गई है। प्रश्नोत्तर काल प्रारंभ करने की आप सब इजाजत दीजिये । प्रश्नोत्तर-काल ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्ष: महोदय, महोदय । निंदा प्रस्ताव का महोदय हमने मांग किया है । निलंबन का महोदय हमने मांग किया है ।

अध्यक्ष: प्रेम बाबू, निंदा प्रस्ताव किसको कहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता,प्रतिपक्षः सत्ताधारी दल के माननीय सदस्यों में वेल में आकर जिस तरह का आचरण किया काफी मर्यादा के विपरीत महोदय है । इसलिए हमने आग्रह किया महोदय सत्ताधारी दल का काम नहीं है वेल में आना । जैसे प्रीप्लांड होकर कहां काउंसिल में घटना घटी उसका बदला लेने के लिए घटना घटाने का काम लोगों ने किया महोदय । इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि निंदा प्रस्ताव पारित कीजिये और साथ साथ जिन माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्या, गायत्री देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया महोदय ऐसे लोगों को निलंबित कीजिये । जो लोग टेबल पर चढ़कर के हुड़दंगई करने का काम किया है और सदन की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है हमारा आपसे आग्रह है निवेदन है महोदय कि आप महोदय न्याय कीजिये, आपसे न्याय की उम्मीद है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप सुन लीजिये । आपकी राय से तो प्रेम बाबू आसन ने और पूरे सदन ने अपनी राय रखी है, आपकी राय तो पूरे सदन ने मानी है । निंदा प्रस्ताव तो पारित हुआ है। जो भी असंसदीय अशोभनीय आचरण हुए हैं हम सभी उसकी निंदा करते हैं और क्या प्रस्ताव चाहिये ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्षः आपसे निवेदन है प्रस्ताव है । गायत्री देवी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आपके निवेदन को हमने स्वीकार किया है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, प्रतिपक्षः धमकी दिया है देख लेने का धमकी दिया है । उनकी चूड़ी फूट गया, हाथ में चोट आ गया महोदय और जिस तरह से सत्ताधारी दल के विधायकों ने घटना घटी महोदय यह काफी दुखद महोदय है । महोदय, हम चाहते हैं सदन चले, लेकिन हमारा पुनः आग्रह है कि इन विधायकों का निलंबन महोदय कीजिये ।

अध्यक्षः चलने दीजिये । आपके प्रस्ताव पर सब लोगों ने उसकी निंदा की है । प्रस्ताव तो सर्वमान्य हो गया है । अब दस मिनट बच गया है । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्षः महोदय इन विधायकों का निलंबन कीजिये ।

अध्यक्षः प्रेम बाबू, अब चलने दीजिये । प्रेम बाबू, आपके प्रस्ताव पर सब लोगों ने उसकी निंदा की है, आपका प्रस्ताव तो सर्वमान्य हो गया है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्षः महोदय हमने जो प्रस्ताव दिया है उस पर महोदय आपने कार्रवाई नहीं किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः प्रश्नोत्तर काल ।

(इस अवसर पर भाजपा के मा0 सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गए)

तारांकित प्रश्न संख्या–189 (श्रीमती गुलजार देवी)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति की जांच करायी जा रही है । यदि प्रश्नगत पुल एम.एम. जी.एस.वाई के मार्गरेखन पर है तो प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: क्या नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगी ? अभी आप कह रहे थे आपके नेता कह रहे थे सदन नहीं चलने देने की साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश करिये और सदन चलने दीजिये । आप उसमें शामिल क्यों हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

देखिये, देखिये । फिर प्ले कार्ड देखिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–190 (मो0 आफाक आलम)

अध्यक्ष: मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल घरखनिया से जी.एन. गंज पी. जी. 5 पी.एम.जी.एस.वाई पथ जो वित्त वर्ष 2001–02 में निर्मित हुआ था पर अवस्थित है उस पुल के लिए डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

मो0 आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय, हम जवाब नहीं सुने, कुछ नहीं सुने सर ।

अध्यक्ष: डी.पी.आर. बन रहा है । डी.पी.आर. बन रहा है ।

मो0 आफाक आलक: ठीक है । धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या–191 (श्री राजकुमार राय)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री राजकुमार राय । जल संसाधन ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्वाईल–चनैला चौर से मृत बागमती नदी तक नहर उड़ाही कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के तहत् कराने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था । उक्त कार्य का योजना प्राक्कलन उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को स्वीकृति हेतु दिनांक 28.01.2014 को समर्पित किया गया एवं योजना की स्वीकृति हेतु पुनः स्मारित किया गया है । मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 1770 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि स्वीकृति की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर विभाग को अविलंब सूचित करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके ।

टर्न-6/30.11.2016/बिपिन

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-192 (श्री नीरज कुमार)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का दो पथांश है-1. कटिहार जिलान्तर्गत समेल प्रखंड के एस.एच.-77 से नरहैया रामनगर गांव तक पथ- उक्त पथ का राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 30 पर अंकित है जिसका डी.पी.आर. एम.एम.जी. एस.वाई. अंतर्गत तैयार किया जा रहा है । प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृति के पश्चात् इसका निर्माण कराया जा सकेगा ।

2. नरहैया नगर के टिक्कापट्टी पथ - यह पथ पथांश के बीच कोई बसावट नहीं रहने के कारण यह किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । टिक्कापट्टी गांव को रूपौली पथ से संपर्कता प्राप्त है । यह पथांश का निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री नीरज कुमार: क्या हुआ महोदय ।

अध्यक्ष : एक का बन रहा है, दूसरे का करा देंगे डी.पी.आर.।

श्री नीरज कुमार: दूसरे का करा दीजिए सर ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-193 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बभना-कुर्था भाया शकुराबाद पथ की कुल लंबाई 19.175 कि.मी. है जिसमें बभना से शकुराबाद (कि.मी. 0.00 से 8.70)कुल लंबाई 8.70 (चौड़ाई-7.00 मीटर) पथ 0PRMC पैकेज के अन्तर्गत है तथा OPRMC में प्रावधानित कंडिकाओं के अनुरूप पथ संधारित किया जा रहा है । बरसात के दिनों में कहीं-कहीं पौट्स उभर आये थे जिसे नन-बिटुमिनस मेटेरियल से मरम्मती किया गया था । वर्त्तमान में बिटुमिनस मेटेरियल से पौट्स पैच मरम्मती किया जा रहा है ।

शकुराबाद से कुर्था पथ (कि.मी. 08.70 से 19.175) कुल लंबाई 10.475 कि. मी. (चौड़ाई-3.75मीटर) पथ CMBD/2014-15 के तहत निर्मित है, CMBD में प्रावधानित कंडिकाओं के अनुरूप पथ संधारित किया जा रहा है । साथ ही, इस पथ को संवेदक द्वारा पॉच वर्षों तक संधारण करना है । पथ की स्थिति संतोषजनक है ।

(व्यवधान)

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: महोदय, यह मेरे क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है । क्या सरकार इस पथ में गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री: उड़दस्ता से हमने जांच के आदेश दे दिए हैं ।

अध्यक्ष : उड़नदस्ता जा रहा है । जांच हो जाएगी ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: जांच रिपोर्ट दिया जाए ।

अध्यक्ष : जांच हो जाएगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-194 (डॉ0 शमीम अहमद)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 07 कि.मी. है जिसका 02 कि.मी. एम.एन.पी. तथा 05 कि.मी. नाबार्ड योजना से आठ वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था । पथ श्रेणी-2 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-195 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा आवास योजना के मोबाइल आधारित अनुश्रवण हेतु SAAS (साफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन) की सेवा उपलब्ध कराने हेतु कम्पटिटिव बिडिंग (Competitive Bidding) के माध्यम से एजेन्सी का चयन कर जनवरी 2015 में अनुबंध किया गया था, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास एप के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश उनके पत्रांक-M-12018/2/2014-RH(RBC) दिनांक-04.11.2015 द्वारा जारी किए गए हैं एवं इसके व्यावहारिक उपयोग के संबंध में इंदिरा आवास कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिनांक 15.3.2016 को दिया गया है ।

3. इंदिरा आवास योजना के अनुश्रवण हेतु मोबाइल आधारित कोई एप पूर्व से नहीं रहने के कारण SAAS आधारित मोबाइल एप का प्रयोग किया गया है । इससे ग्रामीण आवास कर्मियों को आवासों का कम-से-कम समय में निरीक्षण कर आवास निर्माण की प्रगति और विभिन्न स्टेज पर फोटो अपलोड करने में काफी सुविधा हुई है तथा योजना के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता आयी है । SAAS पर अपलोड की गई फोटो को समय-समय पर आवास सॉफ्ट पर लोड किया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को कब उपलब्ध कराया गया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं भारत सरकार कब उपलब्ध कराया बिहार सरकार को ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: प्रश्न के खंड-2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह 2015 में कराया गया है ।

श्री ललित कुमार यादवः राज्य सरकार इसका कब-कब उपयोग किया ?

अध्यक्षः 2015 में तो आया है, अभी 2016 है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-196 (श्री प्रमोद कुमार)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-197 (श्री राज कुमार राय)

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. विभागीय पत्रांक 264735 दिनांक 04.3.2016 द्वारा आर. आइ.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड सम्पोषण से समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड में प्रखंड सूचना प्रोद्यौगिकी केन्द्र के निर्माण का निर्णय लिया गया है । निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-198 (श्री राम विलाश पासवान)

अध्यक्षः उत्तर दिया हुआ है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-199 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-200 (श्रीमती गायत्री देवी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-201 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-202 (श्री ललन पासवान)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-203 (श्री अशोक कुमार सिंह)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–204 (श्री सुबोध राय)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ भागलपुर जिला अन्तर्गत शाहकुण्ड प्रखंड के सजौर से प्रखंड मुख्यालय शिवशंकर मोड़ सजौर से कजरैली तक पथ श्रेणी वन की सूची में शामिल है एवं पथ की लंबाई 14 कि.मी. है । निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता क्रमानुसार आधार पर की जा सकेगी ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में कृपया उस कार्य को पूरा करा दिया जाए ।

अध्यक्ष : हां, हो जाएगा ।

(व्यवधान)

टर्न: 07/कृष्ण/30.11.2016

तारांकित प्रश्न संख्या: 205 (श्री रमेश सिंह कुशवाहा)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत नलकूप में संवेदक द्वारा आधा अधूरा कार्य कर छोड़ दिया गया है, जिसकी जांच निगरानी विभाग द्वारा की गयी थी । उक्त नलकूप पर पुन: कार्य कराने के लिये अंतिम मापी ले लिया गया है ।

एकरारनामा बंद कर कार्य कराने के लिये अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या : 206 (श्री प्रह्लाद यादव)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। लखीसराय जिलान्तर्गत मुड़वरिया से वलीपुर गांव (पिपरिया प्रखंड) तक 3.85 कि0मी0 पथ का निर्माण वर्ष 2016–17 की कार्य योजना में चयनित है ।

किउल रेलवे स्टेशन से धनवह–गोपालपुर पथ में किउल रेलवे स्टेशन से धनवह तक 12.12 कि0मी0 सड़क का निर्माण हो चुका है, जिससे सुगम एवं निर्वाध आवागमन चालू है ।

धनवह से सोपालपुर पथ जिसकी लंबाई 10.50 कि0मी0 है, का अधिग्रहण अधिसूचना संख्या–15270 दिनांक 19.09.2012 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण किया गया है, इसका जिला शेखपुरा अंकित है । कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सोपालपुर को गोपालपुर करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव जी आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, हम यह पूछ रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि यह कब तक बन जायेगा? यह जरूरी है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : हमने जवाब दिया है कि कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : शीघ्र करवा दीजिये ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाय । कार्य-स्थगन ।

कार्य-स्थगन सूचना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 नवंबर, 2016 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव सूचनायें प्राप्त हुई हैं :-

श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केशरी, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री रामप्रीत पासवान, श्री विजय कुमार खेमका, श्री ललन पासवान, श्री सुरेश कुमार शर्मा, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, डा0 सी0 एन0 गुप्ता, श्रीमती भागीरथी देवी, श्री जीवेश कुमार, श्री वृज किशोर बिंद ।

आज सदन में राजकीय विधेयक पर वाद-विवाद तथा मतदान निर्धारित है ।

अतएव बिहार-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 27 (ii) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल ।

(व्यवधान जारी)

शून्यकाल

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी मेहसौल चौक से रमनगरा तक प्रतिदिन हजारों वाहन का परिचालन होता है, जिससे सड़क जर्जर हो चुका है । वर्षों से सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है ।

अतएत जनहित में उक्त सड़क का जीर्णोद्धार शीघ्र कराकर यातायात सुविधा उपलब्ध कराया जाय ।

अध्यक्ष : श्री ललन पासवान ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री बशिष्ठ सिंह ।

(व्यवधान जारी)

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम डुमरी, पंचातय डुमरी में तीन माह पहले तालाब में डूबकर दो लड़कियों की मृत्यु हो गयी थी । उनके परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ।

सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाय ।

श्री मो0नेमातुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखंड के गौसिया, डुमरिया, निमुहया होते हुये मंगलपुर बाजार तक जानेवाली महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण एवं मजबूतीकरण हेतु जनहित में शून्यकाल के माध्यम से निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

श्री विनोद कुमार यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में गोईठा मिठा के निकट इनबोरबा नदी पर पुल नहीं रहने से लोगों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

जनहित में डोभी प्रखंड में गोईठा मिठा के निकट इनबोरबा नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केशरी

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, बिहार कम्फेड द्वारा झारखंड राज्य के डेयरियों से 1 से 1.5 रूपये सस्ते दर पर एवं श्रीधर मिल्क फूड जोया के दूध बनाने हेतु पाउडर को खरीदने से स्थानीय दुग्ध संघों एवं दुग्ध उत्पादक कृषकों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिये इस तरह का गोरख धंधा को बढ़ावा देने वाले राज्य कम्फेड के एम0 डी0 पर कार्रवाई करे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, राज्य में सात निश्चय के तहत युवाओं को ऋण दिये जाने के प्रावधान कर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गयी है । पूर्व में छात्रवृत्ति सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होती थी ।

अतः ऋण के साथ छात्रवृत्ति भी बरकरार रखी जाय ।

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री मो0नवाज आलम ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, केन्द्र सरकार के नोटबंदी के कारण भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में बैंकों के अधिकांश ए0टी0एम0 या तो बंद है या उसमें पैसा उपलब्ध नहीं है । ए0टी0एम0 द्वारा पैसा नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं । बंद बैंकों के ए0टी0एम0 खुलने एवं पैसा की उपलब्धता की व्यवस्था की जाए ।

अध्यक्ष : श्री जीवेश कुमार ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

डा0 रामानुज प्रसाद ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री समीर कुमार महासेठ,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, राज्य के जिला परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक के 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं । ड्राईविंग लाईसेंस के आवेदकों को पेपर ड्राईविंग लाईसेंस जारी किया जा रहा है, जिसे अन्य राज्यों में मान्यता नहीं दी जाती है । लोगों से 200 रूपये प्रति ड्राईविंग लाईसेंस और ऑनर बुक लिया जा रहा है । परन्तु स्मार्ट कार्ड में नहीं बनाया जा रहा है । जिला परिवहन कार्यालय, पटना में ही एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं । इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड की आपूर्त्ति वांछित संख्या में नहीं हो रही है ।

अत: सभी आवेदकों को अविलंब स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक निर्गत किये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : महोदय, राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों को पर्याप्त मात्रा में स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है एवं इनकी छपाई हेतु अत्याधुनिक जीब्रा प्रिंटर भी जिला परिवहन कार्यालयों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जा गया है । स्मार्ट कार्ड की कोई कमी विभाग में नहीं है एवं जीब्रा प्रिंटर परिवहन कार्यालयों द्वारा मांगे जाने पर विभाग द्वारा इसे उपलब्ध कराया जाता है । पेपरबुक में चालक एवं अनुज्ञप्ति निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। 4लाख से अधिक चालक अनुज्ञप्ति निबंधन प्रमाण-पत्र के लंबित मामलों के संबंध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा 19 लाख 46 हजार 500 स्मार्ट कार्ड एवं इसके समतुल्य आवश्यक सामग्रियां यथा रीबन, क्लीनर की आपूर्ति जिला परिहवन कार्यालयों को उनके मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्तमान में विभाग के पास 4 लाख 65 हजार अनुज्ञप्ति स्मार्ट कार्ड एवं 3 लाख 57 हजार पंजीकरण स्मार्ट कार्ड उपलब्ध है जिन्हें जिला परिवहन कार्यालय के मांग के आलोक में माहवार आपूर्त्ति की जाती है । स्मार्ट कार्ड का शुल्क 200/-रूपये निर्धारित है, जिसे विभाग द्वारा लिया जाता है । जिला परिवहन पदाधिकारी,पटना कार्यालय को 1 लाख 36 हजार चालक अनुज्ञप्ति स्मार्ट कार्ड एवं 2 लाख 17 हजार वाहन निबंधन स्मार्ट कार्ड की आपूर्त्ति की गयी है । चालक अनुज्ञप्ति में 1748 एवं वाहन पंजीरकण स्मार्ट कार्ड में 22 हजार प्रिंटिंग कार्ड लंबित है, जिसमें सुधार कर वितरण की कार्रवाई की जा रही है । स्मार्ट कार्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

(व्यवधान जारी)

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज से सभी परिवहन कार्यालयों द्वारा डी0एल0 या ऑनर बुक के लिये आवेदन करनेवाले को स्मार्ट कार्ड जारी करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि स्मार्ट कार्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तब तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि जिलावार कितने स्मार्ट कार्ड डी0एल0 और ऑनर बुक के लिये लंबित हैं ? जिलावार बताया जाय ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-8/राजेश/30.11.16

(व्यवधान जारी)

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री:- महोदय, कुछ संख्या में लंबित है जिसको तुरत छपवाया जा रहा है । विशेष रुप से विशेष अभियान चला करके बैकलॉक को क्लीयर किया जा रहा है ।

श्री समीर कुमार महासेठ:- तो हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो आज से अप्लाई करेंगे तो क्या उनका डी0एल0/ऑनर बुक का स्मार्टकार्ड बैकलॉक का कब तक समाप्त कर लेगी और नये सिरे से जो देना चाह रही है जो आज से अप्लाई करेंगे.....

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री:- महोदय, विशेष अभियान चला करके दो माह के अंदर पूरा बैकलॉग को समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(मा0 सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष:- माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री नंदकिशोर यादव, सभापति, लोक लेखा समिति:- अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज विभिन्न वर्षों के अधिकाई-व्यय पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या- 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612 एवं 613 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष:- माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति:- अध्यक्ष महोदय, मैं समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के

नियम-211 के तहत् सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 186वॉ, 187वॉ, 188वॉ एवं 189वॉ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः- माननीय सभापति, आचार समिति ।

श्री सदानन्द सिंह, सभापति, आचार समितिः- अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, आचार समिति की हैसियत से माननीय सदस्यों की आचार संहिता से संबंधित आचार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 (ज)(11) के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः- अब आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपको जो भी कहना हो, आप अपनी जगह पर जाकर तो कहिये । आपके नेता खड़े हैं, उन्हें बोलने तो दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/30-11-16

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

विधायी कार्य

श्री प्रेम कुमार(नेता विरोधी दल):अध्यक्ष महोदय,आसन से हमने आग्रह किया था विधायकों के निलंबन के संबंध में और निन्दा प्रस्ताव के लिए महोदय । मैं पुनः महोदय आपसे आग्रह करता हूँ..

अध्यक्षः माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपने आग्रह किया था और आसन के साथ-साथ सदन के लगभग सभी माननीय सदस्यों की राय आपकी राय के साथ ही थी कि कल जो भी इस सदन में अप्रिय बातें हुई, आचरण हुआ, नारे हुए उन सब के प्रति सब लोगों ने आपके साथ मिलकर खेद एवं उसकी निन्दा की है इसलिए सारा सदन आपकी भावना के साथ है कि सदन में अशोभनीय आचरण नहीं होना चाहिए और अब महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं इसमें सहयोग करें ।

(व्यवधान)

बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री,परिवहन विभाग ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडश: लेता हूॅ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

महोदय, इस संशोधन को लाने का एक मूलतः कारण यही है कि कम्पनी निर्मित जो चेसिस पर बॉडी बनाये रहता था और चेसिस पर बाहर निर्मित जो वाहन बनाये जाते थे उसके कर का आधार बनाने में काफी विसंगति थी, उसी को दूर करने का प्रयास किया गया है । इस संशोधन को आने के बाद से सभी जो भी वाहन है, जो बस हैं वह बिल बेस के आधार पर उसका कर निर्धारण होगा । इसी के लिए मूलतः यह संशोधन लाया गया है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार मोटर वाहन करारोपण(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

<u>आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2016</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री,शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य,श्री जिवेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं हुआ)

क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं हुआ)

क्या माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं हुआ)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: कोई संशोधन मूव नहीं हुआ । इसलिए मैं खंड-2 को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, विद्वान एवं अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव का लाभ सरकार को प्राप्त हो, इसके लिए विधेयक का प्रस्ताव लाया गया है । इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इसको स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-10/मधुप/30.11.2016

(व्यवधान जारी)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राजीव नन्दन का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री राजीव नन्दन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान जारी)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूँ ।

खण्ड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है । इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) में कतिपय संशोधन एवं कतिपय उपबंधों का जोड़ा जाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।

महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय जो बनाया गया है, वह भागलपुर विश्वविद्यालय को काटकर बनाया गया है । प्रस्तावित विश्वविद्यालय में मुंगेर में अवस्थित महाविद्यालयों की संख्या 16 है और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर में

पड़ने वाले महाविद्यालयों की संख्या 13 है । अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि इसको स्वीकृत प्रदान किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : आज दिनांक- 30 नवम्बर, 2016 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 40 (चालीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

(सदन के वेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्यगण, आपके नेता खड़े हैं, आप अपनी जगह पर तो बैठ जाइये । आपके नेता खड़े हैं, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

.....